School Code: 61071

Affiliation No.:2132633

Mob:9927640987- 8954460002

NEW IMPERIAL PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE (New Delhi)

Gaumat Bajna Road, Edalgarhi, Mathura. Pin.- 281201

Ref :......................

Date :....................

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

सीबीएसई/एएफएफ./विविध/एनओसी/2025

दिनांक: -90.02.2025

अधिसूचना

विषय: - संबद्धता उपनियम-2018 में संशोधन से स्कूलों को एनओसी के साथ या उसके बिना संबद्धता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है।

दिनांक 29.11.2024 को आयोजित अतिरिक्त एजेंडा के तहत संबद्धता समिति की बैठक की सिफारिश के अनुसार, दिनांक 26.12.2024 को आयोजित बैठक में एजेंडा मद XVII के तहत शासी निकाय द्वारा अनुसमर्थित और बोर्ड के नियंत्रण प्राधिकरण के बाद के अनुमोदन के अनुसार, संबद्धता उपनियम 2018 के खंड 2.3.5 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, जो सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत संबद्धता के लिए स्कूलों के आवेदनों पर लागू होंगे जिन्हें SARAS 6.0 पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना है।

तदनुसार, संबद्धता उपनियम 2018 में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं:-

मौजूदा नियम खंड 2.3.5:- संबंधित राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं	संशोधित नियम खंड 2.3.5:- संबंधित राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं
बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले खंड 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 और 2.1.8 के अंतर्गत उल्लिखित स्कूलों को इस आशय का औपचारिक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा कि राज्य सरकार को सीबीएसई के साथ स्कूल की संबद्धता पर कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी स्कूल को एक बार जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र समान माना जाएगा, भले ही वह एक विशिष्ट अवधि और / या स्तर निर्धारित करता हो, जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता।	बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले खंड 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 और 2.1.8 के अंतर्गत उल्लिखित स्कूलों को अब से आगामी सत्र 2026-27 से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के साथ या उसके बिना विभिन्न श्रेणियों के तहत संबद्धता के लिए सरस पैनल पर आवेदन करने की अनुमति होगी। यदि स्कूल बिना एनओसी के संबद्धता के लिए आवेदन करता है, तो बोर्ड संबंधित राज्य सरकार को बोर्ड के साथ संबद्धता के लिए स्कूल के आवेदन पर उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए लिखेगा। विभाग उक्त आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, उक्त पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर पत्र में दिए गए लिंक पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि 30 दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित राज्य शिक्षा विभाग को उनकी आपत्ति, यदि कोई हो, को अन्य 15 दिनों के भीतर उठाने के लिए एक अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा, ऐसा न करने पर, यह माना जाएगा कि राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा स्कूल को संबद्धता प्रदान करने पर कोई आपत्ति नही है और स्कूल के आवेदन पर संबद्धता प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह अन्यथा, बोर्ड के संबद्धता उपनियम-2018 के अनुसार संबद्धता प्रदान करने की शर्तों को पूरा करता है।

(हिमांशु गुप्ता)

सचिव

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

"शिक्षा केंद्र" 2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

फोन (ऑफिस): 011-22509256-68, 220-41807-08, वेबसाइट: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

नोट:- हमारे विद्यालय को 10वीं तक मान्यता 2017 में प्राप्त हुई थी। C.B.S.E के नियमानुसार 2017 में सम्बन्धित राज्य से NOC लेनी की आवश्यकता नहीं थी। दिनांक 9/02/2025 का NOC से सम्बन्धित प्रपत्र साथ में संलग्न है।

Naresh

Manager
New Imperial Public School
Aff. No.-2132633 Code :-61071
Edalgarhi, Mathura (U.P.)

NEW IMPERIAL PUBLIC SCHOOL
PRINCIPAL
Bajna Edalgarhi, Mathura

Scanned with OKEN Scanner